क्रम संख्या–107

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमैन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 जुलाई, 2003 ई0

आषाढ़ 19, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 272/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 10 जुलाई, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को दिनांक 08 जुलाई, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 15, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003

(अधिनियम सं0 15, वर्ष 2003)

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन, और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य की सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हाईड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी द्वारा प्रायोजित "पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय" नामक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम ''पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003'' कहलायेगा।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तिथि को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2. (1) जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) 'विद्या परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;

(ख) 'व्यवस्थापक मण्डल' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल से है;

(ग) 'कैरियर ऐकेडमी सेन्टर' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई–मेल, इन्टरनेट, पारस्परिक सम्वाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;

(घ) 'कुलाधिपति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;

(च) 'संगठक महाविद्यालय का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या संस्था से है;

(छ) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(झ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, अन्य पारस्परिक विधियां, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई–लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;

(ट) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं;

(ढ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की संकाय से है ;

(त) 'वित्त समिति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;

(थ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(न) 'हाल' का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई से है;

(ग) 'हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी' का तात्पर्य सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी से है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी0–2/2525, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070 में है;

(प) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(फ) संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य संघटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसमें जहां प्राचार्य नहीं है, उप–प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य के रूप मे कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ब) 'कुल सचिव' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;

(म) क्षेत्रीय 'केन्द्र' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण

विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय , पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से किया गया हो;

(भ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

(र) 'परिनियमों और नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावलियों से है;

(ल) 'अध्ययन' केन्द्र का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;

(व) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिससे विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संगठक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;

(श) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन समर्पित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

(त्र) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय से है;

(ज्ञ) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।

अध्याय–2

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3\. (1) हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगी। इस आवेदन–पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे :–

(क) हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;

(ग) आगामी पाँच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;

(घ) संकायों की प्रकृति, पाठ्यकम तथा आरम्भ किया जाने वाला प्रस्तावित शोध कार्य;

(च) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे–भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख–सुविधायें;

(छ) आगामी पाँच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय;

(ज) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;

(झ) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;

(ट) आन्तरिक संसाधनों–विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं अन्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;

(ठ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा

निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हों, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्योरा;

(ड) हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन;

(ढ) विश्वविद्यालय में पाठयक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति; तथा

(न) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. (1) यदि राज्य सरकार आवश्यक ऐसी जाँच करने के उपरान्त जिसे वह आवश्यक समझे, का समाधान हो जाये कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं तो हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली को स्थायी विन्यास निधि स्थापित करने के लिए निर्देश देगी;

(2) स्थायी विन्यास निधि की स्थापना के उपरान्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर सकेगी।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तरांचल, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये वह अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं कैरियर ऐकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मंडल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद् के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चलाया जा सकता है।

(5) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थति अथवा निर्मित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियां भी लिए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली की सम्पत्तियों को छोड़कर विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता, अनुदान, या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई माँग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. (1) जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं:–

(क) सम्पूर्ण राष्ट्र तथा विश्व के सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के लाभ के लिए पैट्रोलियम क्षेत्र की प्रगति से सम्बन्धित अपने उद्देश्यों के अनुसार पैट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र के समस्त तत्वों के व्यापक अध्ययन, अध्यापन आदि शोध कार्य की व्यवस्था करना;

(ख) अभियांत्रिकी अध्ययन महाविद्यालय, विधि अध्ययन महाविद्यालय तथा प्रबन्धन एंव अर्थ शास्त्र अध्ययन महाविद्यालय पैट्रोलियम एवं ऊर्जा क्षेत्रों से सम्बन्धित आदि संघटक महाविद्यालयों की स्थापना तथा डिप्लोमा एवं पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामकरण किया जाय किन्तु अपने उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु नये ऐसे अन्य

डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ करने का अधिकार होगा;

(ग) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत शिक्षा के अधीन संघटक केन्द्र की स्थापना।

(2) पैट्रोलियम, तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना और उसके द्वारा :–

(क) ज्ञान की ऐसी सम्बन्धित शाखाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जिन्हें वह आवश्यक समझे;

(ख) विद्यालयों में ज्ञान की उन्नति और प्रचार के लिए शोध कार्य की व्यवस्था करना;

(ग) ऊर्जा सम्बन्धी अध्ययन और ऐसी अन्य गतिविधियां आरम्भ करना जिससे ऊर्जा का संरक्षण हो सके।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :–

(क) पैट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, गैस, तेल, ऊर्जा, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सम्बन्धित सभी विषयों में शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना;

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हों;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षायें आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने:–

(i) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(ii) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो।

(घ) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियों, या अन्य शैक्षिक विशेषताऐं प्रदान करना;

(च) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;

(छ) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये;

(ज) धारा (7) में उल्लेखित हाइड्रोकार्बन्स पैट्रोलियम और अन्य क्षेत्र में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;

(झ) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त (पाठ्येत्तर) अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;

(ट) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ठ) हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रयोजनार्थ संदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निपटारा करना;

(ड) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए हाल स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;

(ढ) आवास का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियन्त्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(त) प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन;

(थ) अन्य विश्वविद्यालय से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें;

(द) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;

(ध) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्याँककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(न) विश्वविद्यालय या किसी संगटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;

(प) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तरांचल राज्य के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था करना;

(फ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हो या न हों;

(ब) पैट्रोलियम और ऊर्जा तथा सम्बन्धित विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र आदि के लिए पाठ्यक्रम आरम्भ करना;

(भ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां, न्यास की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग होंगी;

(म) फिल्म कैसेट, टैप, वीडियो कैसेट, सी0डी0, वी0सी0डी0 और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;

(य) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना;

(र) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;

(ल) संविदा करना उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी लेकिन उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों में शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हो अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्था को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो संविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा :— *विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी*

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है।

परन्तु, और यह भी इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संगटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सेन्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा। *राष्ट्रीय/प्रत्यायन*

अध्याय—3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :— *विश्वविद्यालय के अधिकारी*

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);
(ख) कुलाधिपति;
(ग) कुलपति;
(घ) प्रति—कुलपति; (प्रो—वाइस चांसलर)
(च) संकायाध्यक्ष;
(छ) कुल सचिव;
(ज) वित्त अधिकारी; और
(झ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाय।

12. (1) उत्तरांचल के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। *कुलाध्यक्ष (विजिटर)*

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मंगाना;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि कुलाध्यक्ष उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, विनियम, अध्यादेश अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(4) मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

13. (1) हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली के तत्वाधान में स्थापित संस्थान, भारतीय पैट्रोलियम विद्यालय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे जिनका कार्यकाल तीन वर्ष होगा। तत्पश्चात् हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली अपने सदस्यों में से कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति नियुक्त करेगी। *कुलाधिपति*

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायें।

कुलपति

14\. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव / सचिव;

(घ) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेज देगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति–कुलपति

15\. प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति–कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

संकायाध्यक्ष

16\. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुल सचिव

17\. (1) कुल सचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी, जैसे कि विहित की जाए।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी

के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

वित्त अधिकारी

18. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जायें।

अन्य अधिकारी गण

19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें, तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किये जाय।

अध्याय–4

विश्वविद्यालय प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरी होंगे :–

(क) व्यवस्थापक मण्डल;

(ख) प्रबन्धक मण्डल;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जायेंगे।

व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां

21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे :–

(अ) कुलाधिपति – अध्यक्ष

(ब) कुलपति – सदस्य–सचिव

(स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार का सचिव;

(द) हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा नामित पांच सदस्य;

(य) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबन्धन संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान/भारतीय खनन विद्यालय/भारतीय पैट्रोलियम संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों के नामित अधिकारियों में से कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;

(र) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित तीन शिक्षाविद;

(ल) तेलों और गैस कम्पनियों के नामित अधिकारियों में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन अधिकारी।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो का पुनर्विलोकन;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;

(घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन;

(च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;

(छ) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन; और

(ज) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(अ) कुलपति;

(ब) कुलाधिपति द्वारा नामित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबन्धन संस्थान/ भारतीय विज्ञान संस्थान/भारतीय खनन विद्यालय/भारतीय पैट्रोलियम संस्थान में से एक अधिकारी;

(स) हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा नामित पाँच सदस्य;

(द) एक वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक;

(य) कुलाधिपति द्वारा नामित दो संकायाध्यक्ष;

(र) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न पद का न हो।

कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति एवं कुल सचिव इसके सचिव होंगे।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायें।

विद्या परिषद्

23. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(अ) कुलपति – सभापति;

(ब) कुल सचिव – सचिव;

(स) ऐसे अन्य सदस्य – जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यलाय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति

24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(अ) कुलपति – सभापति;

(ब) वित्त अधिकारी;

(स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग मेँ प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो;

(द) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देख–भाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होगें, जैसे कि विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय–5

परिनियम और नियमावली

परिनियम

27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत् है :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य–सम्पादन और ऐसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;

(ग) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें, तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा शर्तें;

(च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;

(छ) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उसकी पुनर्संरचना;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(झ) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;

(ट) निशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;

(ठ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है तथा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया;

(ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क;

(ढ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;

(त) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया;

(थ) अन्य मामले जो विहित किये जायें।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के समबन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम संशोधन करने की शक्ति

29. व्यवस्थापक मंडल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(ट) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जाये।

नियमावली कैसे बनायी जायेगी

31. (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेंगी और इस प्रकार बनायी गई नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जोकि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से 2 माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के साथ अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ रहती है वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

नियमावली को संशोधित करने की शक्ति

32. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से विद्या परिषद् नये तथा अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

अध्याय–6

प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

33. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) छात्रों या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।

(4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) अधिकरण के कार्यों को विनियमत करने की प्रक्रिया इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विहित की जाये।

अपील का अधिकार

34. विश्वविद्यालय या किसी संगटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, कैरियर एकेडमी सेन्टर के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

35. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित की जायें, ऐसे भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे। — भविष्य निधियां एवं पेंशन

36 यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य के रूप में विधिवत् निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। — विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद

37. जब भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई हो, वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे। — समितियों का गठन

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ती करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता है। — आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

39. कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध संस्थित नहीं होगी। — सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

40. इस अधिनियम और परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी:– — संक्रमणकालीन उपबन्ध

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रति–कुलपति (प्रो–वाइस चांसलर), यदि कोई है, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेगा;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी जो तीन वर्ष की अवधि तक उस पद कार्य करेंगे;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(घ) प्रथम प्रबन्धक मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

41. (1) विश्वविद्यालय द्वारा कम से कम एक करोड़ रुपये स्थायी विन्यास निधि स्थापित की जायेगी जिसे वह आवश्यता पड़ने पर स्वमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता; — स्थायी विन्यास निधि

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विहित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य निधि या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित की जा सकती है। विश्वविद्यालय के समापन के अतिरिक्त किसी भी अन्य परिस्थिति में अन्य प्रयोजनों के लिए कोई धनराशि विन्यास निधि की राशि से अन्तरित नहीं की जा सकती;

(4) स्थायी विन्यास निधि की राशि से प्राप्त आय का 75 प्रतिशत से अनधिक विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जायेगा और शेष 25 प्रतिशत को स्थायी विन्यास निधि में पुनर्निवेशित कर दिया जायेगा।

42. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :– — सामान्य निधि

(क) विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले सभी शुल्क;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) हाइड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।

विकास निधि

43. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेगी, अर्थात :–

(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) हाईड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और

(च) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) समय–समय पर विकास निधि में जमा की गयी निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44. धारा 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

45. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा व लेखा परीक्षा

46. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रति वर्ष लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा की जायेगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आई०सी०ए०आई०) के सदस्य हों।

(3) लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रति वर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा–परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

47. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गई किसी पूँजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव

द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजी में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का विघटन

48. (1) यदि हाईड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा जो इस विषय राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, परन्तु उसके लिए हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली को कारण बताओ नोटिस के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ऐसी कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके हाईड्रोकार्बन्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित दिनांक से, और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अंतिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्व-विद्यालय के व्यय

49. (1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निंदिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्धन ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए प्रयाप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाईयों का निराकरण

50. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिनियम या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,
सचिव।